- 1. सभी विवरण उम्मीदवार द्वारा स्वयं भरने होंगे।
- 2. अंतर-विश्वविद्यालय प्रवास प्रमाण पत्र केवल पंजीकरण रिकॉर्ड के विवरण के अनुसार जारी किया जाएगा।
- 3. प्रवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार को इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यदि कोई छात्र इस विश्वविद्यालय से प्रवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद किसी भी परीक्षा में शामिल होता है, तो उसकी डिग्री अमान्य मानी जाएगी।
- 4. यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही इस विश्वविद्यालय से अपना प्रवास प्रमाण पत्र जारी कर लिया है और वह दोबारा प्रवास प्रमाण पत्र चाहता है, तो उसे डुप्लिकेट प्रवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा और एक हलफनामा जमा करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि उसने प्रवास प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किया है या उसे करना होगा। इस विश्वविद्यालय से पहले ही जारी किए गए प्रवास प्रमाण पत्र / अंतिम बार उपस्थित संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रवास प्रमाण पत्र को आवश्यक शुल्क के साथ, यदि लागू हो, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तय किया जाता है, जमा करके अपना पंजीकरण नंबर बहाल करें।
- 5. यदि कोई छात्र अपनी डिग्री पूरी किए बिना प्रवास प्रमाण पत्र चाहता है तो उसे संबंधित कॉलेज/संस्थान के प्रिंसिपल/निदेशक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
- 6. जिन छात्रों ने इस विश्वविद्यालय से कोई परीक्षा दी है, उन्हें अंतर-विश्वविद्यालय प्रवासन प्रमाण पत्र उनके परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- 7. अपूर्ण आवेदन पत्र के मामले में किसी भी देरी, यदि कोई हो, के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8. एक बार भुगतान किया गया प्रवासन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 9. अंतर-विश्वविद्यालय प्रवासन प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा जो पहले से ही इस विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं।
- 10. अंतर-विश्वविद्यालय प्रवास प्रमाण पत्र लेने के लिए उम्मीदवार को व्यक्तिगत पहचान यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि में से कोई एक अपलोड करना होगा।

इसके अलावा, निम्नलिखित शुल्क संरचना के साथ अंतर-विश्वविद्यालय प्रवास प्रमाण पत्र प्रदान करने का अतिरिक्त विकल्पः

- 1. सामान्य तौर पर यानि जहाँ प्रवासन प्रमाण पत्र 07 कार्य दिवसों के अंदर जारी किया जाना हैं , जिसकी फीस 1100/- रूपए होगी (IUMC जारी कर की समय-सीमा विसंगति/ प्रश्न, यदि कोई हो, को दूर करने पर निर्भर करेगी।
- 2. सामान्य तौर पर डुप्लीकेट प्रवासन पत्र यानि जहाँ प्रवासन प्रमाण पत्र 07 कार्य दिवसों के अंदर जारी किया जाना हैं , जिसकी फीस 3500/- रूपए होगी (IUMC जारी कर की समय-सीमा विसंगति/ प्रश्न, यदि कोई हो, को दूर करने पर निर्भर करेगी।